

डिक्री बमुकदम ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहित  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
वापपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 535/2024

प्रेम कुमार पुत्र श्री दीपाराम जाति जाट निवासी रासुवाला तहसिल संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

बनाम

- वादी

- बलदेव सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- गुरमेल सिंह पुत्र श्री गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- बुटा सिंह पुत्र श्री दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- बलजिन्द्र कौर पत्नी श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख नि.रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
- परमजीत कौर पुत्री श्री प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
- मनप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री हरमेल सिंह पुत्र स्व. श्री नाहर सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- गुरनूर पुत्री स्व. श्री हरमेल सिंह पुत्र स्व. श्री नाहर सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- अभिकर्त पुत्र स्व. श्री हरमेल सिंह पुत्र स्व. श्री नाहर सिंह जाति जटसिख निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
- राजस्व अधिकारी (राजस्व) संगरिया।

राजस्व मुकद्मा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनपरिचाल कतई रुबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 7 आईडीजी खाता संख्या 35/41 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073, में वादी की 0.253 है. प्रतिवादी संख्या 1 से खरीद भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार ही कम किये जाने एवं वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं:-

1. वादी प्रेम कुमार पुत्र श्री दीपाराम जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 35/41		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
122/120	11	5/1/.228, 5/2/0.025 कुल 0.253 हैक्टर मय गैर मुमकिन

- 2 प्रतिवादी संख्या 1 बलदेव सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 35/41		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
123/120	12	4/1/.228, 4/2/0.025 है. 7/0.035 है. कुल 0.288 हैक्टर मय गैर मुमकिन

- 3 प्रतिवादी संख्या 2 गुरमेल सिंह पुत्र गुरतेज सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 35/41		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
123/120	12	11,20/0.253 है. प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

- 4 प्रतिवादी संख्या 3 बुटासिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 35/41		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
123/120	12	7/0.036 है. कुल 0.036 हैक्टर

- 5 प्रतिवादी संख्या 4 बलजिन्द्र कौर पत्नी श्री सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

महायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी


चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 35/41		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
123/119	7	24,25/0.253 है. प्र. कुल 0.506 है. कृषि भूमि

6 प्रतिवादी संख्या 5 परमजीत कौर पत्नी प्रीतपाल सिंह जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 35/41		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
123/120	12	7/0.036 है. कुल 0.036 है. कृषि भूमि

7 प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 क्रमशः मनप्रीत कौर पत्नी श्री हरमेल सिंह, गुरनूर पुत्री स्व.श्री हरमेल सिंह (नाबालिग) व अभिकिर्त पुत्र स्व. श्री हरमेल सिंह (नाबाबलग) जरिये कुदरती बली माता मनप्रीतकौर पत्नी श्री हरमेल सिंह समस्त जाति जटसिख निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ के हक व हिस्सा में आई कृषि भूमि :-

चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 35/41		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नं.
123/119	7	13/2/0.126 है. 2, 18/0.253 है. प्र.
123/118	2	19/0.063 है. 22/0.253 है. 23/0.202 है. 24/0.076 है.
123/120	12	5/1/.202 है., 5/2/0.026 है. 5/3/0.025 है. 7/0.146 है. कुल 1.625 हैक्टर मय गैर मुमकिन



नोट:- नाहर सिंह पुत्र अर्जन सिंह के वारिसानों, की नियमानुसार जांच पश्चात् ही उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे तथा वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..........नल..........मुब्लिक..........निल..........बाबत्..........निल.100/..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..........अदा करें।  
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 15.1.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया